

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लॉड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जून 2014—आषाढ़ 7, शक 1936

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ 2-45-09-1-आयुष.—मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 21, 22, 26 तथा 48 सहपठित धारा 51 की उपधारा (2) के खण्ड (ट), (ठ), (ण) तथा (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् (रजिस्टर का प्रकाशन तथा अपील) नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

- (1) नियम 4 एवं 5 में जहां-जहां "प्रत्येक तीन वर्ष" उल्लिखित है, वहां "प्रत्येक पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए.
- (2) परिशिष्ट [नियम 4(3)] रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य मामलों के लिये परिषद् को देय फीस के स्थान पर निम्न परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाए--

परिशिष्ट

[नियम 4(3) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य मामलों के लिये परिषद् को देय फीस

अनुक्रमांक (1)	विशिष्टियां (2)	फीस की दर (3)	नियम क्रमांक (4)
1.	पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र फीस	रुपये 150/-	4(2)
2.	चिलंब पुनरीक्षण फीस	रुपये 100/- प्रतिमाह अधिकतम रुपये 500/- के अधधीन रहते हुए.	4(3)

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस	रुपये 3,000/-	6
4.	धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस	रुपये 2,500/-	7(1)
5.	धारा 24 से धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये विलंब फीस.	रुपये 200/- प्रति मास अधिकतम रुपये 1,000/- के अध्यधीन रहते हुए	7(4)
6.	अर्हता की अतिरिक्त प्रविष्टि के लिये फीस	रुपये 1,000/-	8
7.	रजिस्ट्रीकरण की द्वितीय प्रति के लिये फीस	रुपये 1,500/-	9
8.	उपनाम या पते के परिवर्तन के लिये फीस	रुपये 500/-	10
9.	सत्यापन फीस	रुपये 1,000/-	12
10.	अपील फीस	रुपये 500/-	14(ख)
11.	नाम प्रत्यावर्तन फीस	रुपये 1,000/-	4(4)
12.	पुरीक्षण प्रमाण-पत्र को द्वितीय प्रति की फीस	रुपये 100/-	4(6)
13.	राज्य रजिस्टर की मुद्रित सूची	रुपये 2,000/-	5(4)

टिप्पणी.—विहित फीस, डाक प्रभार को अपवर्जित करके है जो परिषद् द्वारा कहे जाने पर पृथक् से देय होगी.

No. F. 2-45-09-1-Ayush.—In exercise of the powers conferred by clause (k), (l), (o) and (p) of sub-section (2) of Section 51 read with Section 21, 22, 26 and 48 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Council Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Homoeopathy Council (Publication of Register and Appeal) Rules, 2009, namely :—

#### AMENDMENTS

- In rule 4 and 5 for the entry "every three years" wherever they occur the entry "every five years" shall be substituted;
- For the appendix [Rule 4(3)] Fees payable to the Council for registration and other matters, the following appendix shall be substituted, namely :—

#### Appendix

[See rule 4(3)]

#### Fees payable to the Council for registration and other matters

S.No. (1)	Particulars (2)	Rate of fee (3)	Rule No. (4)
1.	Fee for Certificate of Revision	Rs. 150/-	4(2)
2.	Late Fee for Revision	Rs. 100/- per month subject to maximum of Rs. 500/-	4(3)
3.	Registration fee w/s 22	Rs. 3,000/-	6
4.	Registration fee w/s 24	Rs. 2,500/-	7(1)
5.	Late fee for Registration w/s 22 from section 24.	Rs. 200/- per month subject to maximum of Rs. 1,000/-	7(4)